रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260415
CG-DL-E-23012025-260415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946
No. 44] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 73(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में-

(i) नियम 11 में, उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(झ क) कोई उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी तारीख 1 जुलाई, 2025 से उप-नियम (1) के अधीन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराए : -

(क) प्लास्टिक पैकेजिंग पर मुद्रित बारकोड या क्विक रिस्पांस कोड में;

(ख) उत्पाद सूचना विवरणिका में;

(ग) वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि जिसमें, उप-नियम (1) के उपबंधों को ऐसी संख्या जारी करने से पहले पूरा किया जाना अपेक्षित है; के अधीन जारी की गई विशिष्ट संख्या को प्लास्टिक पैकेजिंग पर मुद्रित करेगा, परन्तु, विवरणिका या विशिष्ट संख्या उत्पादक या आयातक या ब्रांड स्वामी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बारकोड या क्यूआर कोड, विवरणिका या विशिष्ट संख्या के प्रकाशन के ब्यौरे को सूचित करेगा: परन्तु, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी वेबसाइट पर ऐसे उत्पादकों, आयातकों अथवा ब्रांड स्वामियों, की सूची प्रकाशित करेगा और प्रत्येक तिमाही में उसे अद्यतन करेगा जिन्होंने ब्यौरे और उत्पाद सूचना उपलब्ध कराई है।

ii) नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"19. उल्लंघन करने पर कार्रवाई- कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या इनका उल्लंघन करता है, वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार दंड का दायित्वाधीन होगा।

[फा. सं. 17/6/2023-एचएसएम]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

नोट :- मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018; सा.का.नि. 571(अ), तारीख 12 अगस्त, 2021; सा.का.नि. 647(अ), तारीख 17 अगस्त, 2021; सा.का.नि. 133(अ), तारीख 16 फरवरी 2022; सा.का.नि. 522(अ), तारीख 6 जुलाई, 2022; सा.का.नि. 318(अ), तारीख 27 अप्रैल 2023; सा.का.नि. 807(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे; और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 (अ) तारीख 14 मार्च 2024 के अधीन संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

G.S.R. 73(E).— In exercise of the powers conferred under sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016,-

(i) in rule 11, after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted:-

"(1 A) A producer, importer or brandowner may, with effect from the 1st July, 2025, provide the information specified under sub-rule (1) as given below,-

a. in a barcode or Quick Response code printed on the plastic packaging;

b. in the product information brochure;

c. print on the plastics packaging the unique number issued under any law for the time being in force, wherein, the provisions of sub-rule (1) are required to be fulfilled before issuance of such a number:

Provided that the producer or importer or brandowner shall inform the details of publishing of a barcode or QR code, brochure or unique number to the Central Pollution Control Board:

Provided further that the Central Pollution Control Board shall publish the list, of such producers, importers or brandowners, who have provided with details and the product information using any one of above option, on its website and update the same every quarter.

ii) after rule 18, the following rule shall be inserted, namely:-

"19. Action for contravention.- Any person who fails to comply or contravenes the provisions of these rules shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of section 15 of the Act."

[F. No. 17/6/2023 HSM]

VED PRAKASH MISHRA, Jt Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018; G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021; G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021; G.S.R. 133(E), dated the 16th February 2022; G.S.R. 522(E) dated the 6th July 2022; G.S.R. 318(E), dated the 27th April 2023; G.S.R. 807(E) dated the 30th October 2023; and last amended vide notification number G.S.R. 201(E) dated the 14th March 2024.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.23 22:59:26 +05'30'